

झारखंड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, रांची – 834001

विज्ञापन

ऑनलाइन (Online) आवेदन करने की अंतिम तिथि-07/02/2017

विज्ञापन संख्या-01/2017 एवं 02/2017

खान एवं भूतत्व विभाग, झारखंड के भूतत्व निदेशालय में भूतत्ववेत्ता तथा रसायनज्ञ के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु इच्छुक भारतीय अर्हताधारियों से निम्न प्रकार विहित शर्तों एवं निर्देशों के अनुरूप **Online** आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

1. पद एवं रिक्तियों का विवरण :-

पद का नाम	वि०सं०	UNR	SC	ST	EBC (Annx.-I)	BC (Annx.-II)	Total	शैक्षणिक योग्यता
भूतत्ववेत्ता	01/2017	09	03	03	02	01	18	भू विज्ञान अथवा अप्लाइड भू विज्ञान में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की न्यूनतम द्वितीय श्रेणी की डिग्री। (Master Degree in Geology or applied Geology with minimum second class from recognized University.)
रसायनज्ञ	02/2017	03	01	01	01	—	06	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायनशास्त्र/ भू-रसायन में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से स्नातकोत्तर डिग्री। (2 nd Class M.Sc degree in Chemistry/Geo-Chemistry from any recognized University).

नोट :-

- भूतत्ववेत्ता के पद पर नियुक्ति हेतु महिलाओं के लिए 02 (दो) पद क्षैतिज रूप से आरक्षित हैं।
- कोटिवार रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

2. वेतनमान :- PB-II, 9300-34800, ग्रेड पे - 4800

3. परीक्ष्यमान अवधि :- 02 (दो) वर्ष

4. उम्र सीमा (Age Limit) :-

(क) नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों के उम्र की गणना की तिथि **01.08.2015** होगी। इनकी न्यूनतम आयु **21 वर्ष** एवं अधिकतम आयु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार का ज्ञापांक-609, दिनांक-25.01.2016 के अनुसार निम्नवत् होनी चाहिए :-

क्र०	श्रेणी	उम्र	निःशक्त आवेदकों के लिए
1	अनारक्षित	35 वर्ष	40 वर्ष
2	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (Annexure-I) / पिछड़ा वर्ग (Annexure-II)	37 वर्ष	42 वर्ष
3	महिला (अनारक्षित / अत्यंत पिछड़ा वर्ग (Annexure-I) / पिछड़ा वर्ग (Annexure-II))	38 वर्ष	43 वर्ष
4	अनु० जाति / अनु० जनजाति (पुरुष / महिला)	40 वर्ष	45 वर्ष

- (ख) भूतपूर्व सैनिकों (Ex-servicemen) को उनकी आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्रसीमा में 05 वर्षों की छूट देय है।
- (ग) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार का ज्ञापांक-360, दिनांक- 21.01.2003 के अनुसार, राज्य सरकार के वैसे सरकारी कर्मियों जिन्होंने लगातार तीन वर्षों की सरकारी सेवा पूरी कर ली हो, उन्हें निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों की छूट देय है।

5. आरक्षण का लाभ :-

- (क) ऑनलाइन (Online) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- (ख) आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को सक्षम स्तर के पदाधिकारी अर्थात् उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। झारखण्ड राज्य के बाहर के जाति प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी के लिए आरक्षण के लाभ हेतु किया गया दावा अनुमान्य नहीं होगा।
- (ग) (i) झारखण्ड सरकार द्वारा लागू अद्यतन आरक्षण संबंधी नियम प्रभावी होंगे। अन्य राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के उम्मीदवार को, चाहे वे किसी भी जाति के हों, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तथा वे अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार माने जायेंगे।
- (ii) झारखण्ड राज्य के उम्मीदवार, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (Annexure-I) एवं पिछड़ा वर्ग (Annexure-II) के हैं, को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए झारखण्ड राज्यान्तर्गत सक्षम पदाधिकारी अर्थात् उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी स्तर से निर्गत वैध जाति प्रमाण पत्र संख्या तथा जारी करने की तिथि का विवरण ऑनलाइन आवेदन पत्र में देना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी अनारक्षित कोटि के माने जायेंगे। प्रमाण पत्र का प्रपत्र आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन में दिये गये प्रविष्टि (Entry) के अनुसार साक्षात्कार के समय उक्त सम्बंधित प्रमाण पत्रों को मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(घ) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-12165 दिनांक-31.10.2012 के आलोक में निम्नांकित प्रावधान लागू होंगे:-

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/93-ईस्ट (एस0सी0टी0), दिनांक-08.09.1993 तथा 36011/1/98 ईस्ट (रेंज) दिनांक-01.07.1998 से राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि आरक्षित वर्ग के वैसे अभ्यर्थी जिनका चयन उन मानकों के आधार पर होता है जो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए विहित हो उन्हें आरक्षित वर्ग के रिक्तियों के विरुद्ध सामंजित नहीं किया जायेगा। दूसरे शब्दों में जब आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की तुलना में ऊपरी उम्र सीमा, अनुभव, शैक्षणिक योग्यता, लिखित परीक्षा में बैठने के अवसरों की संख्या में छूट/रियायत प्रदान कर की जाती है एवं विस्तारित विचारण क्षेत्र के आधार पर होता है तो वे संबंधित आरक्षित वर्ग के रिक्तियों के विरुद्ध ही सामंजित होंगे। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित रिक्तियों के लिए अनुपलब्ध समझे जायेंगे।

6. नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया :-

- (क) एक लिखित वस्तुनिष्ठ एवं लघु उत्तर प्रकार की परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके पश्चात् अन्तर्वीक्षा होगी।
- (ख) लिखित परीक्षा अर्हकारी स्नातकोत्तर उपाधि (डिग्री) के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी। परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।
- (ग) लिखित परीक्षा का स्वरूप एवं न्यूनतम अर्हतांक निम्नवत् है:-

पत्र	पद	विषय	परीक्षा का समय	पूर्णांक	न्यूनतम अर्हकारी अंक
I	भूतत्ववेत्ता	भू-विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ सूदूर संवेदन का प्रारंभिक ज्ञान/फोटो भू-विज्ञान	02 घंटे	200	50 सामान्य के लिए 45 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग (Annexure-I)/ पिछड़ा वर्ग (Annexure-II) के लिए
	रसायनज्ञ	रसायन शास्त्र/भू रसायन में स्नातकोत्तर डिग्री			
II	भूतत्ववेत्ता	सामान्य ज्ञान एवं पर्यावरण	02 घंटे	100	50 सामान्य के लिए 45 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग (Annexure-I)/ पिछड़ा वर्ग (Annexure-II) के लिए
	रसायनज्ञ	सामान्य ज्ञान			

(घ) अन्तर्वीक्षा या मौखिक जाँच में 50 अंक समाविष्ट रहेगा जो अनर्हक (नन-क्वालिफाईंग) प्रकृति का होगा, तथापि इसका अंक अंतिम परीक्षाफल तैयार करने हेतु अंतिम प्राप्तांक में जोड़ा जायेगा।

7. परीक्षा शुल्क:-

- परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/चालान के माध्यम से SBI Collect पर स्वीकार किये जायेंगे जिससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।
- परीक्षा शुल्क के रूप में अनारक्षित/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (Annexure-I)/पिछड़ा वर्ग (Annexure-II) कोटि के उम्मीदवारों को ₹0 600 (छह सौ) + बैंक चार्ज मात्र तथा झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को ₹0 150/- (एक सौ पचास) + बैंक चार्ज मात्र देय होगा। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क में छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए झारखण्ड राज्यान्तर्गत उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र का विवरण ऑनलाइन (Online) आवेदन पत्र में प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा।
- झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द समझे जायेंगे। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।
- विकलांग अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में छूट है।
- परीक्षा शुल्क के अलावा अभ्यर्थियों को बैंक चार्ज के रूप में अतिरिक्त राशि का भी भुगतान करना होगा जिसकी विस्तृत सूचना आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। जिसे आवेदन जमा करने के पूर्व अवश्य देख कर ही आवेदन करें।

8. आवेदन-प्रपत्र भरने की प्रक्रिया एवं अन्य अनुदेश :-

- Jharkhand Public Service Commission के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर Online Application System के माध्यम से आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
- प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जायेगी। अभ्यर्थी Online Application भली-भाँति विज्ञापन में निहित प्रावधान एवं निर्देश के अनुसार ही भरें। एक बार Online Application में की गयी प्रविष्टि (Entry) के बाद उसमें किसी भी तरह के परिवर्तन का अनुरोध आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् स्वीकार्य नहीं होगा।
- ऑनलाइन (Online) आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व "How to apply" अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के Help Line No. 0651-2213009 पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह-10.00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।
- आवेदक के सरकारी सेवा में होने की स्थिति में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र अन्तर्वीक्षा के समय मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

- (ड.) Online Application System के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन (पासपोर्ट साइज) फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्कैन कर संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर का निशान नहीं रहने पर आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
- (च) हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए।
- (छ) आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्तनी (Spelling) वही लिखेंगे, जो मैट्रिक के प्रमाण पत्र/अंक पत्र में अंकित है।
- (ज) जन्म तिथि— आवेदक के मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में, जो उनकी जन्म तिथि यथा तिथि, महीना और वर्ष अंकित है वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर प्रविष्ट करेंगे।
- (झ) अभ्यर्थी ऑनलाइन भरे गये आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची-834001 के पते पर निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट या हाथों-हाथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। लिफाफे पर विज्ञापन संख्या एवं आवेदित पद का नाम अंकित करना आवश्यक होगा।
- (i) शैक्षणिक अर्हता का प्रमाण (कंडिका-1 की सारणी के अनुसार)
- (ii) जिस संस्थान में उसने अंतिम अध्ययन किया है उसके प्रधान/नियोजक से प्राप्त चरित्र एवं आचरण प्रमाण पत्र
- (iii) किसी निबंधित चिकित्सक से प्राप्त स्वस्थ तथा आरोग्य (फिटनेस) का प्रारंभिक प्रमाण पत्र।
- (iv) आयु का प्रमाण (मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र अथवा समकक्ष)
- (v) मैट्रिक अथवा समकक्ष अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र,
- (vi) इंटरमीडिएट अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र,
- (vii) स्नातक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र,
- (viii) स्नातकोत्तर अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र,
- (ix) अनुमंडल पदाधिकारी से अन्यून पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र (केवल आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए)
- (x) सक्षम प्राधिकार से निर्गत निःशक्तता (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) प्रमाण पत्र (केवल परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने वाले निःशक्त उम्मीदवारों के लिए)

नोट:—मूल प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा अन्तर्वीक्षा या मौखिक जाँच के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

- (ज) ऐसे दो व्यक्तियों के नाम आवेदन पत्र में अंकित किये जाने चाहिए जो अभ्यर्थी को निजी जीवन में जानते हों और उसके संबंधी न हों, ताकि उन्हें निदेश दिया जा सके।
- (ट) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (ठ) Online Application पत्र किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत होने पर शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- (ड) अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क आयोग को विहित माध्यम से प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन रद्द किया जा सकता है।
- (ढ) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

9. **(i) कदाचार (Misconduct) एवं इसके दुष्परिणाम:—**

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of :

- (a) Obtaining support of his/her candidature by any means, or

- (b) Impersonating, or
- (c) Procuring impersonation by any person, or
- (d) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
- (e) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
- (f) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or
- (g) Using unfair means during the test, or
- (h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch, in the script (s), or
- (i) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or
- (j) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or
- (k) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.
- (l) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:
 - (i) to be disqualified from selection, for which he/she is a candidate, and/or
 - (ii) to be debarred either permanently or for a specified period.
 - (iii) Canvassing in any form will disqualify a candidate.

(ii) कदाचार के लिए कार्यवाही :-

ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी stage में समाप्त की जा सकेगी। जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

(iii) पूर्व के कदाचार का प्रभाव:-

वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर देने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

10. अंतिम तिथि :-

- (क) आवेदक Online Application System के माध्यम से दिनांक 20.01.2017 से 07.02.2017 अपराह्न 05:00 बजे तक ही Online आवेदन कर सकते हैं।
- (ख) दिनांक-07.02.2017 के बाद दिनांक-13.02.2017 तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा।
- (ग) ऑनलाइन आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति एवं वांछित प्रमाण पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति (कंडिका-8(झ) के अनुसार) आयोग कार्यालय में पहुँचने की अंतिम तिथि दिनांक-17.02.2017 अपराह्न- 05:00 बजे तक है।
- (घ) अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

ह0 / -

सचिव,

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।